(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1011–तीन/2008 – विरुद्ध आदेश दिनांक 12–8–2008 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 288/2006–07 अपील

ओमप्रकाश बरार बल्द रतन बरार निवासी ग्राम
सिनावल तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी ––आवेदक

विरुद्ध

1– दयाराम पुत्र शोभाराम खँगार
2– लालाराम पुत्र बाबूलाल दोनों निवासी ग्राम
सिनावल तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, म0प्र0 ––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी.एन.त्यागी)
(अनावेदक क–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 12 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 288/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–8–2008 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि लालाराम बंशकार निवासी ग्राम सिनावल ने तहसीलदार खनियाधाना को ग्राम पंचायत सिनावल के प्रस्ताव ठहराव की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत कर मांग करी कि ग्राम सिनावल के कोटवार दयाराम द्वारा आये दिन ग्रामवासियों के साथ गाली गलोच की जाती है एंव ग्राम में कोई घटना आदि होने की सूचना सरकारी आफिसर जैसे तहसील कार्यालय एंव थाने में नहीं दी जाती है और शासकीय कार्य में सहयोग नहीं करता है, इसलिये दयाराम को कोटवार पद से हटाकर अन्य की कोटवार पद पर नियुक्ति की जावे। तहसीलदार खनियाधाना ने प्रकरण कमांक 2/2006–07 अ 56 पॅजीबद्ध किया तथा दयाराम कोटवार ग्राम सिनावल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 3–1–2006 पारित किया तथा शिकायत सही प्रमाणित होने से दयाराम को ग्राम सिनावल कलॉ के कोटवार पद से पदच्युत कर दिया।

पटवारी हलका नंबर 21 ग्राम सिनावल कलॉ द्वारा तहसीलदार खनियाधाना को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वर्तमान समय में वसूली का कार्य चल रहा है एंव कोटवार न होने से शासकीय कार्य में व्यवधान है इसलिये ग्राम सिनावल में कोटवार पद की पूर्ति की जाय। तहसीलदार खनियाधाना ने प्र. क. 3/05–06 अ 56 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 7–1–2006 पारित करके आवेदक को ग्राम सिनावल के रिक्त कोटवार पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी।

तहसीलदार के प्रकरण कमांक 3/05-06 अ 56 में पारित आदेश दिनांक 3-1-2006 के विरुद्ध अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने प्रकरण कमांक 25/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2007 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार खनियाधाना का आदेश दिनांक 3-1-2006 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश पारित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आवेदक के अभिभाषक की मांग अनुसार अपील को निगरानी में बदलकर आदेश दिनांक 12-8-08 पारित किया तथा आवेदक की निगरानी निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने प्रकरण कमांक 25/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2007 से अनावेदक कमांक-1 की अपील स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निष्कर्ष अंकित किया है :-

" उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय व्दारा शिकायतकर्ता को पार्टी बनाया है जबकि वर्तमान में कार्यरत कोटवार को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय व्दारा अपीलांट व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कतई विचार नहीं किया गया है । मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत को आधार मानकर कोटवार को पद से प्रथक करने का आदेश पारित किया है जो उचित नहीं कहा जा सकता। "

अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार खनियाधाना ने प्रकरण कमांक 3/05-06 अ 56 का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक-2 लालाराम बंशकार निवासी ग्राम सिनावल ने तहसीलदार खनियाधाना को आवेदन दिनांक 18-10-05 प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम सिनावल के कोटवार दयाराम व्दारा आये दिन ग्रामवासियों के साथ गाली गलोच की जाती है एंव ग्राम में कोई घटना आदि होने की सूचना सरकारी आफिसर जैसे तहसील कार्यालय एंव थाने में नहीं दी जाती है और शासकीय कार्य में सहयोग नहीं करता है, इस आवेदन के साथ ग्राम पंचायत सिनावल के प्रस्ताव / ठहराव दिनांक 3-8-2005 की प्रति सचिव एंव सरपंच के हस्ताक्षरित एंव पदमुद्रा सहित प्रस्तुत की गई है। जिस पर से तहसीलदार ने अनावेदक कमांक-2 को कारण दर्शाते हुये सूचना पत्र जारी करते हुये पेशी दिनांक 16-11-05 को उत्तर तलब किया है कि उक्त कारणों से क्यों न कोटवार पद से प्रथक किया जावे। पेशी 16-11-05 को बचाव में अनावेदक क-1 ने नोटिस का लिखितं उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रकरण में पेशी 21-11-05, 28-11-05, 5-12-05, 8-12-05 पर सुनवाई हुई है । शिकायतकर्ता व्दारा पेशी 8-12-05 को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है आर्डरशीट का अंकन इस प्रकार है :-

" प्रकरण पेश। शिकायतकर्ता लालाराम उपस्थित। दयाराम चौकीदार उपस्थित । शिकायतकर्ता के गवाह अतर सिंह `ध्व राजाराम लोधी नि. सिनावल कलां , प्रागीलाल`ध्व धर्मा जाति लोधी निवासी सिनावल कलां , कैलाश`ध्व दीना लोधी नि. सिनावल कलां, हेमराज`ध्व बारेलाल लोधी नि. सिनावल कलां, बाघराज`ध्व त्रुगीलाल लोधी नि.

सिनावल कलां के कथन अंकित किये गये। सरपंच ग्राम पंचायत सिनावल के व्दारा दि. 5-12-05 को पंचनामा पेश किया है जो शा.फा. में संलग्न है। शिकायतकर्ता के प्रमाण समाप्त। कोटवार दयाराम अगली पेशी पर प्रमाण पेश करे। पेशी दि. 12-12-05

आगामी पेशी 12-12-05, तद्रुपरांत पेशी 26-12-05 नियत हुई किन्तु अनावेदक कमांक-एक अनुपस्थित हो गया। इसी दिन हलका पटवारी ने रिपोर्ट पेश की एंव प्रकरण आदेश हेतु नियत कर दिया गया। स्पष्ट है कि पेशी 6-12-05 को शिकायतकर्ता की साक्ष्य समाप्त हुई एंव आगामी पेशी अनावेदक क-2 को बचाव में साक्ष्य एंव प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु देकर 12-12-05 की तिथि नियत की गई, तद्रुपरांत 26-12-05 की पेशी दी गई , किन्तु अनावेदक क-2 ने जानबूझकर साक्ष्य प्रस्तुत न करते हुये अनुपस्थित हो गया, जिसके कारण तहसीलदार खनियाधाना ने प्रकरण आदेश हेतु नियत कर आदेश दिनांक 3-1-2006 पारित करते हुये शिकायतकर्ता अनावेदक क-2 की शिकायत सही प्रमाणित होने से अनावेदक क-1 को कोटवार पद से पदच्युत किया है। स्पष्ट है कि अनावेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है किंतु अनावेदक ने जानबूझकर बचाव प्रस्तुत नहीं किया है । अनावेदक को अनावेदक को पेशी 21-11-05, 28-11-05, 5-12-05, 8-12-05 , 12-12-05, 26-12-05 पर बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिला है बचाव के लिये बार-बार अवसर देने के वाद बचाव में लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है फिर भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा नये सिरे अनावेदक कमांक 2 को पुनः बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देने में त्रृटि की गई है ।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम सिनावल के कोटवार अनावेदक क-एक की अकर्मण्यता एंव आम-ग्रामीणों से मधुर सम्बन्ध न होने के आधार पर तहसीलदार खनियाधाना ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पदप्रथक किया है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने वास्तविक तथ्यों पर विचार न करते हुये एंव ग्राम सिनावल के कोटवार की पद पूर्ति हो जाने के वाद भी अपील में वर्तमान पदस्थ कोटवार को पक्षकार न बनाये जाने से पक्षकारों का असंजयोजन होते हुये भी अपील स्वीकार करते हुये पदप्रथक कोटवार अनावेदक क-एक को पुनः साक्ष्य एंव सुनवाई के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में भूल की है एंव इन तथ्यों पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने भी आदेश दिनांक 12-8-2008 पारित करते समय ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी पिछोर का आदेश दिनांक 31-7-2007 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 12-8-08 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 288/06-07 अपील/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-8-2008 , अनुविभागीय अधिकारी पिछोर व्दारा प्रकरण कमांक 25/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार खनियाधाना व्दारा प्रकरण कमांक 3/05-06 अ 56 में पारित आदेश दिनांक 3-1-2006 एंव आदेश दिनांक 7-1-2006 उचित होने से यथावत् रखे जाते हैं ।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर